(18)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः—श्री के0सी0 जैन

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4187—तीन/2014 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 23—08—2014 के द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 114/2012—2013/अपील

.....

1— ऊधम सिंह पुंत्र लालाराम
2— मदन सिंह पुत्र लालाराम
3— सुरेन्द्र सिंह पुत्र बदाम सिंह
4— अजब सिंह पुत्र बदाम सिंह
5— महिला सीमा पुत्री बदाम सिंह
6— महिला रेखा पुत्री बदाम सिंह
7— महिला मिथला बेवा बदाम सिंह
निवासीगण— ग्राम काली पहाड़ी, तह0 पिछोर,
जिला—शिवपुरी (म0प्र0)

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1— बाबूलाल पुत्र मसलत्ती यादव
2— जसवंत सिंह पुत्र बाबूलाल
3— के0वी0 सिंह पुत्र बाबूलाल
4— धूलाजू पुत्र बाबूलाल
5— शंकर सिंह पुत्र बाबूलाल
निवासीगण— ग्राम काली पहाड़ी, तह0 पिछोर,
जिला—शिवपुरी (म0प्र0)

.....अनावेदकगण

6— रती बाई पत्नी स्व0 भुवानी सिंह
7— रतीबाई पुत्री स्व0 भुवानी सिंह
निवासीगण— ग्राम काली पहाड़ी, तह0 पिछोर,
जिला—शिवपुरी (म0प्र0)

.....प्रोफार्मा पक्षकार.....अनावेदक

.....

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री आर0एस0 सेंगर, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 14/7/16 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 114/2012–2013/अपील में पारित आदेश दिनांक 23–08–2014 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त सार यह है कि ग्राम काली पहाड़ी, तहसील पिछोर, जिला–शिवपुरी स्थित प्रश्नाधीन भूमि जिसका सर्वे क्रमांक 290 रकबा 1.380, सर्वे क्र0 772 रकबा 0.320, सर्वे क्र0 773 रकबा 0.220, सर्वे क्र0 291 रकबा 0.050, सर्वे क्र0 292/1 रकबस 0.300, सर्वे क्र0 292/2 रकबा 1.128, सर्वे क्र0 771 रकबा 0.190, एवं सर्वे क्र0 293 रकबा 1.00 हैक्टेयर में से 1/3 का भूमि स्वामी होने अथवा उक्त प्रश्नाधीन भूमि का बटवारा हेतु अनावेदक क्र0 1 द्वारा नायब तहसीलदार, पिछोर के न्यायालय में आवेदन–पत्र पेश किया गया, जिसमें नायब तहसीलदार पिछोर ने अपने प्रकरण क्रमांक 30/2010–11/अ–27 में दिनांक 16.04.2012 आदेश पारित कर बटवारा का आवेदन–पत्र स्वीकार किया । तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 16.04.2012 के विरूद्ध भुवानी सिंह (वर्तमान स्थिति में मृत है) ने अनुविभागीय अधिकारी पिछोर के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की । प्रकरण दर्ज किया गया और आदेश दिनांक 26.11.2012 को अपील स्वीकार करते हुये बंटवारा आदेश निरस्त यिा जाकर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पुनः फर्दे आहूत करने का आदेश किया तथा आगामी पेशी दिनांक 24.12.2012 नियत की । इसी आदेश के विरूद्ध भुवनसिंह द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई । न्यायालय अपर आयुक्त के यहॉ प्ररकण क्रमांक 114/2012–13/अपील माल में दर्ज होकर आदेश दिनांक 23.08.2014 को प्रकरण प्रचलन योग्य न होने से अस्वीकार की गई। अपर आयुक्त के आदेश दिनां 23.08.2014 से परिवेदित होकर आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया है कि तहसील न्यायालय ने बंटवारा नियमों का पालन किये बिना बटवारा का आदेश पारित किया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है । प्रथम अपीली न्यायायल द्वारा पारित आदेश अंतिम स्वरूप का था। इस कारण उक्त आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई थी, अधीनस्थ न्यायालय ने प्रथम अपीली न्यायालय का

आदेश अंतरिम स्वरूप मानकर द्वितीय अपील गुणदोषों पर निराकृत किये बिना तकनीकी आधारों पर निरस्त करने में त्रुटि की है । उनके द्वारा तर्क में यह भी कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की थी, अधीनस्थ न्यायालय को उक्त अपील सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपील प्रचलन योग्य न होने का आधार लेते हुये अस्वीकार किया है । उक्त प्रकरण बंटवारा का है जिसमें सिविल न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का हवाला दिया है । उक्त आदेश बंधनकारी नहीं थे, बल्कि बंटवारा कार्यवाही सही की थी अथवा नहीं यह प्रश्न विवादित है जिस पर अधीनस्थ न्यायालयों ने विचार नहीं किया है । अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किया जावे।

3/ अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर यह बताया है कि आवेदकगण द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 114/12–13/अपील में पारित आदेश दिनांक 23.08.2014 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की है जो प्रचलनशील ही नहीं है । अनावेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष धारा 178 बटवारा का आवेदन प्रस्तुत किया है । तहसीलदार द्वारा दिनांक 16.04.2012 को बटवारा का आदेश पारित किया गया है । आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी पिछोर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो दिनांक 26.11.2012 को स्वीकार करते हुये बंटवारा का आदेश निरस्त किया । अनुविभागीय अधिकारी पिछौर द्वारा पुनः फर्दे आहूत करने का आदेश किया तथा आगामी पेश दिनांक 24.12.2012 नियत की गई । उक्त आदेश अंतरिम स्वरूप का था । प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी के यहां लंबित था। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील में पारित आदेश दिनांक 26.11.2012 के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर के समक्ष अपील की जो प्रकरण क्रमांक 114/12–13/अपील पर दर्ज की गई । उक्त अपील दिनांक 23.08.2014 को प्रचलन योग्य न होने से निरस्त की गई, क्योंकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश अंतरिम स्वरूप का था तो निगरानी होना चाहिये था । उनके द्वारा तर्क में यह भी बताया गया है कि अनावेदक क्र0 1 बाबूलाल द्वारा अपना हिस्सा 1/3 को प्राप्त करने के लिए न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 पिछौर शिवपुरी के समक्ष दावा पेश किया जो प्रकरण क्रमांक 36ए/1997 पर दर्ज किया गया एवं पारित आदेश दिनांक 11.02.2005 को दावा स्वीकार कर डिक्री किया

गया । सम्मपूर्ण भूमि 1/3 हिस्सा अनावेदकगण को दिया गया । उक्त आदेश की अपील आवेदकगण द्वारा न्यायालय द्वितीय अपर जिला–न्यायाधीश फास्ट ट्रेक पिछौर के समक्ष की गई जो प्रकरण क्रमांक 39/2005 अ.दी. परदर्ज की गई । अपील में पारित आदेश दिनांक 03.01.2006 को निरस्त की गई । व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 द्वारा पारित आदेश को यथावत रखा गया है । अनावेदकगण का 1/3 हिस्सा माना गया है । अनावेदकगण द्वारा सिविल कोर्ट की डिक्री एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में बटवारे का आवेदन तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया । तहसीलदार द्वारा विधिवत बटवारा का आदेश पारित किया गया है । आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो स्वीकार होने के बावजूद आवेदकगण प्रकरण को अनावश्यक रूप से लंबित रखने के प्रया समें है । इस कारण उक्त विचाराधीन निगरानी सिविल कोर्ट के आदेशों के अनुसरण में चलने योग्य नहीं है, जिसे निरस्त किया जाना न्यायोचित है। अनुविभागीय अधिकारी पिछौर के यहॉ प्रकरण विचाराधीन है । उक्त बिन्दुओं पर विचार करते हुये आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त किया जावे ।

4/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का परिशीलन किया। अभिलेख से प्रकट होता है कि अनुविभागीय अधिकारी पिछौर के समक्ष भुवन सिंह के द्वारा तहसील न्यायालय के प्र0क्र0 30/10–11/अ–27 में पारित आदेश दिनांक 16.04.2012 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय की कार्यवाही त्रुटिपूर्ण पाई जाने से निरस्त की गई और अपील स्वीकार किया गया तथा पुः उद्घोषणा जारी करने एवं फर्दे आहूत करने के आदेश दिनांक 26.11.2012 को दिये गये । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में नये सिरे से कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये फर्दे आहूत किये जाने के आदेश दिये गये है । अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में प्रचलित कार्यवाही अंतरिम स्वरूप की है और प्रकरण का अभी अंतिम रूप से निराकरण नहीं हुआ है । चूंकि अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में प्रचलति कार्यवाही अंतरिम स्वरूप की है ऐसी स्थिति में निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है । न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने भी अनुविभागीय अधिकारी पिछौर द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया है । मैं अपर आयुक्त ग्वालियर के आदेश से सहमत हूँ, क्योंकि जब प्रकरण प्रचलन योग्य नहीं है तो उसे संस्थापित करने का कोई औचित्य नहीं है ।

5/ मैंने प्रकरण में संलग्न माननीय उच्च न्यायालय के प्ररकण क्रमांक 118/06 में पारित आदेश दिनांक 04.05.2009 का अवलोकन किया, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भुवन सिंह द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से अस्वीकार की गई है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचा हूँ कि अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है । अतः अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा आदेश दिनांक 23–08–2014 यथावत रखते हुये प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर